भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-340

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

मातृभाषा दिवस

†*340. **डॉ. विनोद कुमार बिंद:**

श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में मातृभाषा दिवस का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ख) उच्च शिक्षा संस्थान कितने प्रभावी ढंग से मातृभाषा दिवस समारोहों को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)' 2020 जिसमें बहुभाषावाद पर बल दिया गया है, के अनुरूप मना रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में अधिगम संबंधी परिणामों पर मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान में मातृभाषाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वाले संस्थानों को कोई प्रोत्साहन या वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा में पढ़ाए जाने को बढ़ावा देने वाली नीतियां आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य डॉ. विनोद कुमार बिंद एवं श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा 'मातृभाषा दिवस' के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 340 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों पर बहुत बल देती है। एनईपी में यह प्रावधान किया गया है कि जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षण का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा रखा जाए। इस नीति में घरेलू भाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री उपलब्ध कराकर स्कूल और उच्चतर शिक्षा स्तर पर बहुभाषावाद को एकीकृत कर रही है ताकि छात्रों को अपनी मातृभाषा/स्थानीय भाषा में अध्ययन करने का विकल्प मिल सके। एनईपी-2020 में देश की विविध भाषा संबंधी विरासत/विविधता को संरक्षित करने और बढ़ावा देने सहित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर अत्यधिक बल दिया गया है। उच्चतर शिक्षण संस्थान आवश्यकता एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी भी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मातृभाषा दिवस पूरे विश्व में मातृभाषाओं के प्रचार-प्रसार तथा भाषा संबंधी और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने तथा समझ, सहिष्णुता और संवाद के आधार पर एकजुटता को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। भाषाएँ हमारी मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और विकसित करने का सशक्त साधन हैं। मातृभाषाओं के प्रयोग और प्रसार को मान्यता और बढ़ावा देने की पहल भाषा संबंधी विविधता और बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है तथा भाषा संबंधी एवं सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जागरूकता और समझ विकसित करती है। इस दिशा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष देश भर के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।

भारत सरकार ने मातृभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा मातृभाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने संबद्ध विद्यालयों से आग्रह भी किया है कि वे आधारभूत स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर के अंत तक अर्थात् पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा 12

तक अन्य विद्यमान विकल्पों के अतिरिक्त वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारत के संविधान की अनुसूची 8 में यथाउल्लिखित भारतीय भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में उपयोग करने पर विचार करें।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एवं इंजीनियरिंग और विधि जैसी तकनीकी पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अनुवादिनी ऐप का लाभ उठाया है। अनूदित पुस्तकें ई-कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध हैं। यूजीसी और एआईसीटीई ने पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने और मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। कुछ एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं में विभिन्न भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान में मातृभाषाओं को बढ़ावा देने और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अधिकतम शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए, एआईसीटीई ने 'वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लेंग्वेज्स (वाणी)' योजना शुरू की, जिसके माध्यम से अनुमोदित संस्थाओं को संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। उत्तर प्रदेश की दो संस्थाओं को 4.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (अवर स्नातक), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) 13 भाषाओं में आयोजित की जाती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मुक्त स्रोत में 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए भाषण और पाठ अनुवाद हेतु मुख्य भाषा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए वर्ष 2022 में मिशन डिजिटल इंडिया भाषिणी शुरू किया है। पाठ और आवाज में भाषा अनुवाद के लिए भाषिनी ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) को एपीआई सेतु (https://apisetu.gov.in) पर सूचीबद्ध किया गया है। भाषिनी एपीआई किसी भी एप्लिकेशन के साथ एकीकरण के लिए उपलब्ध है।

***